



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1459 वर्ष 2026

मुनकी
बनाम

..... याची(गण)

उ०प्र० राज्य तथा 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : हरीश चन्द्र, प्रमोद कुमार

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची ने निम्न अनुरोधों के साथ वर्तमान याचिका को अधिमानित किया है:-

(क) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन मामला सं०-1726 वर्ष 2024 कम्प्यूटरीकृत मामला सं० टी202415510201726 (गांव सभा बनाम मुनकी) में प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2025 तथा उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अधीन अपील सं० 1031 वर्ष 2025 कम्प्यूटरीकृत मामला सं० डी202515510001031 (मुनकी बनाम तहसीलदार) में प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2025 का अभिखण्डन करते हुए उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाय, अन्यथा याची को अपूरणीय हानि एवं क्षति उठाना पड़ेगा।

(ख) गांव औराडार परगना तथा तहसील घोसी, जिला मऊ में स्थित गाटा सं० 308 क्षेत्रफल 0.020 हेक्टेयर पर याची के शांतिपूर्ण कब्जा में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निदेश देते हुए परमादेश के प्रकृति में रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाय।”

2. संक्षेप में तथ्य जैसा रिट याचिका में अन्तर्विष्ट है यह है कि उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अधीन कार्यवाहियों को याची के विरुद्ध आरंभ किया गया था जिसे मामला सं० 1726 वर्ष 2024, कम्प्यूटरीकृत मामला सं० टी202415510201726 के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसे प्रत्यर्थी सं० 3 के आदेश दिनांक 27-05-2025 द्वारा अनुज्ञात किया गया था। पूर्वोक्त आदेश द्वारा याची को बेदखल किया गया था।

3. पूर्वोक्त से व्यथित, धारा 67(5) के अधीन कानूनी अपील दाखिल किया गया था जिसे मामला सं० 1031 वर्ष 2025, कम्प्यूटरीकृत मामला सं० डी202515510001031 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त अपील को 14-11-2025 को जिला मजिस्ट्रेट, मऊ/कलेक्टर, मऊ द्वारा खारिज किया गया था। याची के अधिवक्ता ने लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10-02-2025 पर भरोसा रखा है। पूर्वोक्त रिपोर्ट में यह कहा गया है कि याची उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(1) के लाभ का हकदार नहीं है।

4. यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त पर विचार किये बिना, याची के विरुद्ध पारित आदेश जो स्वतः अवैध है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

5. विभिन्न अन्य तर्कों के अलावा, तर्कों में एक तर्क याची के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया है कि पूर्वोक्त आदेशों को 2023(1) एडीजे 154 में संप्रकाशित ऋषिपाल सिंह तथा अन्य बनाम उ०प्र० राज्य तथा अन्य के मामले में पारित पैरा-74 में विहित प्रक्रिया के पूर्ण उल्लंघन में पारित किया गया था अतः यह अपास्त किये जाने योग्य है।

6. इस तथ्य को प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

7. उपर्युक्त के दृष्टिगत, चूँकि, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 में मामला सं० 1726 वर्ष 2024 कम्प्यूटरीकृत मामला सं० टी202415510201726 (गांव सभा बनाम मुनकी) में प्रत्यर्थी सं० 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-05-2025 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अधीन अपील सं० 1031 वर्ष 2025 कम्प्यूटरीकृत मामला सं० डी202515510001031 (मुनकी बनाम तहसीलदार) में प्रत्यर्थी सं० 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-11-2025 को ऋषिपाल सिंह (ऊपर) के

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मामले में विहित प्रक्रिया के पूर्ण उल्लंघन में पारित किया गया था; यह अपास्त किये जाने योग्य है तथा एतद्वारा अभिखंडित किया जाता है।

8. रिट याचिका को अनुज्ञात किया जाता है। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं।

9. प्रत्यर्थी सं0 3/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील-घोसी, जिला-मऊ को शीघ्रता से एवं अधिमानतः आज से चार माह के अवधि के अन्दर ऋषिपाल सिंह (ऊपर) के मामले में निर्णय तथा आदेश दिनांक 02-12-2022 के पैरा-74 में इस न्यायालय द्वारा किये गये संप्रेक्षणों के दृष्टिगत नये सिरे से आदेश पारित करने का निदेश दिया जाता है।

जनवरी, 29, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"